


12/05/25

जवाबकी पेश डूई) छाकी एवं जमी धारी. अनु.) अजमी
 आसिक्का द्वारा प्रस्तुत जालना पत्र अन्तर्गत आदेश
 7 निधम ॥ वा. कीवानी स्वीकार टीने से वादी। जाली
 द्वारा प्रस्तुत मूल वाद सं. 2022/67 कर्नलालाल कानून
 अतीपी खारिज कर दिने जाने से जाली के जालना
 पत्र में कोई कार्रवारी अपेक्षित नहीं है। जाली के जालना
 पत्र में कोई कार्रवारी अपेक्षित नहीं करते से जाली
 का जालना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्मान
 कार्रवारी अधिनियम खारिज किया जाना है।
 निधम सबे इजलास सुनाया गया। जवाबकी फौजदारी
 शुमार होकर नार्थल दफ्तर ही लया नंबर में कम
 है।


 12/05/25

सहायक कलक्टर
 भीलवाड़ा